

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 1014 / 932 / 2020 / नियम / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21/8/2020

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

विषय :- मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 1995 भाग-2 के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 1995 भाग-2 में जनसम्पर्क विभाग के अन्तर्गत वर्तमान प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों को अधिकमित करते हुए एतद् द्वारा निम्नलिखित वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं:-

क्र.	विवरण	वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
1	2	3	4	5
1	दैनिक पेपर/पत्रिका: प्रदर्शन विज्ञापन जारी करने की शक्ति	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां किसी दैनिक राष्ट्रीय पेपर में एक पृष्ठ तक, किसी एक राष्ट्रीय पत्रिका में एक पूर्ण पृष्ठ तथा राज्य पेपर/पत्रिका/स्मारिका में दो पृष्ठ की शक्तियां एक समय पर एक प्रकाशन के लिये	वार्षिक आंबटन सीमा के अध्याधीन
2.	किसी भी अखबार, नियतकालिक पत्रिकाओं तथा अशासकीय पत्रिकाओं एवं स्मारिका में निगमों /स्थानीय निकायों के प्रदर्शन विज्ञापन जारी करने की शक्ति	1. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां	वार्षिक आंबटन सीमा के अध्याधीन
3	आकस्मिक खर्च करने की मंजूरी उन मदों पर जो कहीं विशिष्ट रूप से अभिव्यक्त न हों	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां रूपये 2.00 लाख तक की शक्तियां	(1) वार्षिक आंबटन की सीमा के अध्याधीन

क.	विवरण	वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
1	2	3	4	5
				(2) फर्निचर, रूम कूलर, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर, कम्प्युटर Laptop-I pad तथा पेरीफेराल्स सम्मिलित नहीं हैं
4	विभागीय पत्रिका मध्यप्रदेश संदेश, अन्य प्रचार साहित्य यथा पोस्टर्स/ पैफ्लेट्स, बुकलेट्स, फोल्डर इत्यादि स्थानीय तौर पर छपाने की मंजूरी	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां रूपये 5.00 लाख तक की शक्तियां	(1) वार्षिक आंबटन की सीमा के अध्याधीन
5	जनसंचार माध्यमों के प्रतिनिधियों का आतिथ्य सत्कार, पत्रकार वार्ताओं, प्रेस ब्रीफिंग, सम्मेलनों आदि के लिये स्वल्पाहार/भोज आदि	1. आयुक्त जनसम्पर्क 2. संभागीय एवं जिला कार्यालय के लिये	पूर्ण शक्तियां एक माह में रूपये पच्चास हजार तक की शक्तियां	(1) वार्षिक आंबटन की सीमा के अध्याधीन (2) B.O.F.P.Part-1 Appendix-2.B.1 की शर्तों के अध्याधीन
6	राज्य के भीतर पत्रकारों के भ्रमण की व्यवस्था	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां रूपये एक लाख तक प्रति भ्रमण की शक्तियां	वार्षिक आंबटन की सीमा के अध्याधीन
7	सांस्कृतिक कार्यक्रम की मंजूरी	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां रूपये दस हजार तक प्रति एकल कार्यक्रम	तदैव
8	विभागीय विषयों से संबंधित बल्क में पुस्तकें कय करने की मंजूरी	1. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां	तदैव
9	फिल्म का निर्माण	1. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां	तदैव

क.	विवरण	वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
1	2	3	4	5
10	सिनेमा प्रोजेक्टर, पी.ए. सेट्स तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत के प्राक्कलन की मंजूरी	1. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां	वार्षिक आबंटन की सीमा के अध्याधीन
11	ब्लॉक्स/पॉजिटिव्य पारदर्शी तैयार कराने पर खर्च की मंजूरी	1. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां	तदैव
12	छायाचित्रों, सामग्रियों पर खर्च की मंजूरी	1. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां	तदैव
13	छायाचित्रों, सिनेमा एवं वीडियोग्राफी पर खर्च की मंजूरी	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क 3. संभागीय एवं जिला कार्यालय के लिये	पूर्ण शक्तियां रूपये पच्चीस हजार तक एक समय के लिये रूपये पांच हजार तक	तदैव
14	वर्गीकृत विज्ञापनों को जारी करना	1. आयुक्त जनसम्पर्क	राज्य के अंदर तथा राज्य के बाहर प्रकाशित अनुमोदित अखबारों हेतु पूर्ण शक्ति	तदैव
15	पूरी एवं कम लंबाई की फिल्मों तथा डाक्यूमेंटरी फिल्मों का कय	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण शक्तियां	तदैव
16	राष्ट्रीय/क्षेत्रीय टी.व्ही. चैनलों में प्रदर्शन विज्ञापन	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां एक बार में किसी एक चैनल को अधिकतम रु. 25.00 लाख एक माह में।	1. वार्षिक आबंटन सीमा के अध्याधीन 2. भारत सरकार के DAVP Rates के अध्याधीन
17	शासकीय कार्यक्रमों का राष्ट्रीय/क्षेत्रीय टी.व्ही. चैनलों पर प्रसारण (यथा इन्वेस्टर समिट आदि)	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां एक बार में किसी एक चैनल को अधिकतम रु. 25.00 लाख एक माह में।	1. वार्षिक आबंटन सीमा के अध्याधीन 2. भारत सरकार के DAVP Rates के अध्याधीन

क.	विवरण	वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
1	2	3	4	5
18	MSO/केबल टी.व्ही. में प्रदर्शन विज्ञापन	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां रु. 5.00 लाख प्रति MSO प्रति माह	वार्षिक आंबटन की सीमा के अध्याधीन
19	निजी एम.एम.ओ. रेडियो एवं सामुदायिक रेडियों में विज्ञापन	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां रु. 1.00 लाख प्रति एम.एम. चैनल प्रति माह	तदैव
20	आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में प्रदर्शन विज्ञापन तथा सीधा प्रसारण	आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां	तदैव
21	न्यूज वेबसाइट/वेब पोर्टल एवं वेब चैनल पर प्रदर्शन विज्ञापन	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां एक बार में एक वेबसाइट/वेब पोर्टल को अधिकतम 25000/- रुपये प्रति वेबसाइट प्रतिमाह	तदैव
22	सिनेमाघरों/एल.ई.डी. /स्क्रीनों में विज्ञापन /प्रदर्शन	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां रुपये 25000/- प्रति स्क्रीन प्रति माह	तदैव
23	सोशल मीडिया फेसबुक, ट्वीटर, यू-ट्यूब चैनल आदि डिजिटल प्लेटफार्म पर/ब्लक संदेश/ वाईस एसएमएस/ प्रचार लाइव स्ट्रीमिंग	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां एक बार में रु.10.00 लाख तक	तदैव
24	सार्वजनिक कार्यक्रमों में स्पांसरशिप	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण शक्तियां	तदैव

क.	विवरण	वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
1	2	3	4	5
25	प्रचार प्रसार अभियान अंतर्गत दीवार लेखन, आयरन फ्रेम बोर्ड, होर्डिंग्स, फ्लेक्स, यू. बी. तथा एल.डी.फॉर्म कलैण्डर/एवं बैनल प्रिन्टिंग कार्य तथा प्रचार रथ एवं आटो रिक्शा से प्रचार	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां प्रति अभियान रूपये 25.00 लाख	1. वार्षिक आंबटन की सीमा के अध्याधीन 2. शासन द्वारा स्वीकृत अभियान के लिये
26	राज्य से बाहर प्रचार कार्य	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण शक्तियां	वार्षिक आंबटन की सीमा के अध्याधीन
27	पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान एवं पत्रकार बीमा योजना	आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां	1. वार्षिक आंबटन की सीमा के अध्याधीन 2. पत्रकारों हेतु स्वीकृत योजना की शर्तों के अनुसार
28	किसी शासकीय तथा अशासकीय संस्था/संगठन की स्मारिका में प्रदर्शन विज्ञापन जारी करने की शक्ति	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसम्पर्क	रु. 1.00 लाख प्रति स्मारिका रु. 25000/- प्रति स्मारिका	वार्षिक आंबटन की सीमा के अध्याधीन
29	प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, डिजिटल/सोशल मीडिया, संचार सेवायें एवं क्षेत्र प्रचार आदि के लिये व्यवसायिक/परामर्शदात्री सेवाओं की प्राप्ति	आयुक्त जनसम्पर्क	पूर्ण शक्तियां	1. वार्षिक आंबटन की सीमा के अध्याधीन 2. शासन द्वारा परामर्शदात्री सेवा के लिये जारी निर्देशों के अध्याधीन

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गुलशन बामरा)

सचिव

गोप्रशासन, वित्त विभाग

...6....

पृष्ठा. क्रमांक 1015/932/2020/नियम/चार भोपाल दिनांक 21/08.2020

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश
ग्वालियर/भोपाल
2. आयुष कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश ।
3. सहायक संचालक /प्रोग्रामर वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, मंत्रालय भोपाल!



(अखिल कुमार वर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग